

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/1355

दिनांक:- 18/02/22

आदेश

निम्नांकित अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिक को उनके नाम के आगे कॉलम संख्या 5 में वर्णित कार्यालय के कॉलम संख्या 6 में रिक्त अधीनस्थ लेखा सेवा के पद का कार्य भी अग्रिम आदेश/रिक्त पद पर पदस्थापन होने तक अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित करने के निर्देश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	लिंक नम्बर	नाम कार्मिक सर्वश्री	वर्तमान पदस्थापन	अतिरिक्त कार्य आवंटन विभाग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	6087	मातादीन गुप्ता, सलेअ-।	निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर	प्रबंध निदेशक, राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम, जयपुर	सलेअ-। के रिक्त पद का

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार अतिरिक्त कार्य का दोहरा कार्यभत्ता स्वीकृत होगा।

उक्त आदेश निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा से अनुमोदित है।


(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)

क्रमांक:- एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/1355

दिनांक:- 18/02/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्रबंध निदेशक, राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. श्री मातादीन गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को पालनार्थ।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)